जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-NF/1761/20/ 223 दिनांक: 22.04.2021

कार्यालय आदेश

वैश्विक महामारी COVID-19 की दूसरी लहर से बचाव हेतु जीविका द्वारा प्रोत्साहित सामुदायिक संगठनों(संकुल संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह/ उत्पादक कंपनी) द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए **मास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट)** का उत्पादन एवं विपणन किया जा रहा था इसे और बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस प्रकार निर्गत गुणवत्तापूर्ण मास्क भारत सरकार एवं बिहार सरकार के महत्वपूर्ण विभागों; जैसे:- पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल-जीवन-हरियाली अभियान सहित कई अन्य संस्थानों में आपूर्ति की गई है | बिहार सरकार के निदेशानुसार (पत्रांक सं. 4प. / 15वें वि० आ० – 12 – 73 /2020 /13 (गो०)/पं० रा०, दिनांक 20.04.2021) सभी ग्रामीण परिवारों को 06 मास्क प्रति परिवार उपलब्द्ध कराया जाना हैं एवं मास्क की खरीददारी में जीविका के संगठनों को प्राथमिकता दी गई है ।

मास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट) की कीमत 15 रू० (GST अतिरिक्त) की सीमा के अधीन निर्धारित की गई है | इस आलोक आवश्यकतानुसार जिले में कार्यरत 'जीविका मास्क उत्पादन केंद्र' की संख्या, उत्पादन-केंद्र पर संलग्न दीदियों की संख्या, सिलाई मशीन, उत्पादन एवं उत्पादकता अविलम्ब बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस आलोक में जिलों द्वारा निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा:-

1) प्रत्येक जिला सम्बंधित प्रखंडों में मास्क उत्पादन हेतु चिन्हित/नामित सी.एल.एफ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह /उत्पादक कम्पनी उत्पादन एवं आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे |
2) नामित संकुल संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह/ उत्पादक कंपनी जिला परियोजना पदाधिकारी के निदेशानुसार निर्दिष्ट क्षेत्र में मास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट) उत्पादन एवं सम्बंधित व्यवसाय के लिए जिम्मेवार होगा।
3) माँग के अनुरूप सम्बंधित संकुल संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह/ उत्पादक कंपनीमास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट) उत्पादन हेतु अपनी पूँजी का निवेश करेगी |
4) विशेष परिस्थिति में सी.एल.एफ/ग्राम-संगठन सम्बंधित जिला परियोजना समन्वयन इकाई से मास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट) उत्पादन हेतु Flexi Fund (BTDP/NRLM/NRETP) की माँग करेगी जिसे मास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट) उत्पादन की निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के बाद संबंधित सी.एल.एफ/ग्राम-संगठन के द्वारा छह माह के भीतर वापस किया जा सकेगा । इसके अलावा PG पालिसी के अनुसार मास्क उत्पादन के लिए बिजनेस प्लान का निर्माण का निर्माण कर 5 लाख रू तक की राशि की मांग सम्बंधित जिला परियोजना समन्वयन इकाई से की जा सकती है |
5) <u>मास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट) उत्पादन सम्बन्धी खरीददारी</u>:- उत्पादन-केंद्र पर कच्चे माल की खरीददारी, सामुदायिक खरीददारी प्रणाली प्रावधानों के नियमानुसार किया जायेगा ।
6) <u>गुणवत्ता निर्धारण :</u> - मास्क उत्पादन में आधार माप हेतु पूर्व पत्रांक "BRLPS/Proj-NF/1761/20/137 , दिनांक -30/04/20" में दिए गए मानक मान्य होंगे | जिला एवं प्रखंड स्तर पर मास्क की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए DPM एव BPM अपने स्तर से एक Committee का गठन करेंगे। इस Committee में संबंधित CLF/VO के सदस्यों को निश्चित रूप से शामिल किया जायेगा।

7) <u>बुक-कीपिंग</u>:- मास्क उत्पादन के सभी लेन-देन को सम्बंधित सी.एल.एफ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह के कैश-रजिस्टर में मास्क उत्पादन से सम्बंधित प्राप्ति (**'मास्क व्यवसाय सम्बन्धी प्राप्ति'** नाम के हेड से) और भुगतान (**मास्क उत्पादन सम्बन्धी व्यय'** नाम के हेड से) लिखना है जिसको लिखने का काम कार्यरत मास्टर बुक-कीपर/ बुक-कीपर करेंगे।

8) <u>माँग-सृजन</u>:- प्रत्येक जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर अपने सम्बंधित प्रखंडों के नामित संकुल संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह/ उत्पादक कंपनी के लिए प्रखंडवार, पंचायतवार टैगिंग किया जायेगा एवं तदनुसार संकुल संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह/ उत्पादक कंपनी के लिए मांग का प्रेषण करेंगे, साथ ही नामित/चिन्हित सी.एल.एफ/ग्राम-संगठन/उत्पादक कम्पनी माँग के अनुरूप **आपूर्ति हेतु वर्क-प्लान** बनायेंगे जिसे जिला पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुखिया एवं राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से साझा करते हुए आपूर्ति सुनिश्चित किया जायेगा |

9) <u>आपूर्ति एवं भुगतान-प्राप्ति सम्बंधित निर्देश</u>:- माँग के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में सम्बंधित इकाई को मास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट) की आपूर्ति कर सी.एल.एफ/ग्राम-संगठन/उत्पादक कम्पनी अपने नाम से INVOICE देगा और भुगतान प्राप्त कर आवश्यक बुक-कीपिंग किया जाएगा। INVOICE के विरुद्ध सम्बंधित संकुल संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह/ उत्पादक कंपनी द्वारा सिर्फ चेक/डिमांड ड्राफ्ट/ऑन-लाइन भुगतान/डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जायेगा। सभी भुगतान सिर्फ संबंधित संकुल संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह/ उत्पादक कंपनी के खाते में किया जायेगा। भुगतान-प्राप्ति को सम्बद्ध प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा साप्ताहिक मिलान (Reconciliation) करना होगा एवं संकुल संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह/ उत्पादक कंपनीको शेष राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। मास्क की आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्था पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी |

10) **उत्पादन केन्द्र एवं उत्पादन कार्य में संलग्न समुदाय को दिया जाने वाला सर्विस चार्ज/दैनिक भत्ता का भुगतान** कार्यालय-आदेश - पत्रांक सं. BRLPS/PROJ-NF/1761/20/137 दिनांक 30/04/2020 के परिचालन दिशा-निर्देश में निम्नानुसार संसोधन किया जा रहा है :-

A	दीदी को दिया जाने वाला मेहनताना	सिलाई	3-4 रु.प्रति मास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट)	बिक्री से प्राप्त राशि से
B	उत्पादन केंद्र पर किया जाना वाला काम	कपड़ा कटिंगस्टरलाईजेशन, सुखाना एवं पैकेट बनाना	1रु.प्रति मास्क (सूती - दो स्तर - तीन प्लेट)	बिक्री से प्राप्त राशि से

11) <u>कार्पस फण्ड का निर्माण</u>:- बिक्री के पश्चात् होने वाले लाभ (सभी देनदारी को वापस करने के बाद) को नामित नोडलस्टरलाईजेशन, सुखाना एवं पैकेट बनाना में कार्पस फण्ड के रूप में रखा जाना है जिसका इस्तेमाल एक सामुदायिक उधम के रूप में परिवर्तित करने में किया जाएगा।

12) <u>अनुश्रवण एवं निगरानी</u> :- जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर एक नोडल स्टाफ नामित किया जायेगा। जिला स्तर पर नॉन फार्म मैनेजर/YP-NF/IC/अन्य मैनेजर को तथा प्रत्येक उत्पादन केंद्र के स्तर पर LHS/YP/BPM/BPM-SVEP को नोडल बनाया जाएगा। जिला स्तर पर नामित स्टाफ मास्क के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं सम्बंधित प्रबंधन के लिए आवश्यक मोनिटरिंग, ऑन-लाइन एप्प एंट्री (प्रतिदिन), प्रति दिन की SPMU को

रिपोर्टिंग (प्रत्येक कार्य दिवस को संध्या 6 बजे तक SPMU की सम्बद्ध टीम को निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे), मास्क उत्पादन संबंधित एप में प्रविष्टि (entry) करेंगे, माँग का एकत्रीकरण एवं विभाग से भुगतान से सम्बंधित कार्य करेगा।जिला स्तर पर मैनेजर माइक्रो फाईनान्स/कम्युनिटी फाईनान्स द्वारा सी.एल.एफ/ग्राम-संगठन में किये जाने वाले लेन-देन का अनुश्रवण किया जायेगा तथा प्रोक्योरमेंट मैनेजर द्वारा सामुदायिक खरीददारी के नियमों को सुनिश्चित कराया जायेगा। उत्पादन केंद्र के पर नामित स्टाफ मास्क उत्पादन, आपूर्ति इत्यादि संबंधित विवरणी प्रतिदिन की DPCU को रिपोर्टिंग करेंगे एवं इसके लिए निर्धारित Mobile App. पर प्रतिदिन upload करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त के संबंध में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी।

22/04/2021

(बालामुरुगन डी०)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक : BRLPS/Proj-NF/1761/20/ 223 दिनांक : 22.04.2021

प्रतिलिपि : सभी जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/04/2021

(बालामुरुगन डी०)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक : BRLPS/Proj-NF/1761/20/ 223 दिनांक : 22.04.2021

प्रतिलिपि : जीविका के सभी जिलों के Mentors को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि वे प्रतिदिन सभी जिला से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

22/04/2021

(बालामुरुगन डी०)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक : BRLPS/Proj-NF/1761/20/ 223 दिनांक : 22.04.2021

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुकत, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/04/2021

(बालामुरुगन डी०)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक : BRLPS/Proj-NF/1761/20/ 223 दिनांक : 22.04.2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार एवं प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

22/04/2021

(बालामुरुगन डी०)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी